उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
अधिसूचना

24 फरवरी, 2026 ई0

संख्या–100/VII-3-26/182–उद्योग/2001–राज्यपाल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 21 की उपधारा (1) तथा (2) सपठित उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् नियमावली, 2018" के नियम 5 के उपनियम (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बंध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 297/VII/182 उद्योग/2001, दिनांक 03 जून 2011 (समय–समय पर यथासंशोधित) को अधिक्रमित करते हुए सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् का निम्नवत् गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1.	महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग	अध्यक्ष (पदेन)
2.	उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में अपर निदेशक, उद्योग	सदस्य
3.	बैंकिग विशेषज्ञ के रूप में संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	सदस्य
4.	वित्त एवं एकाउन्ट विशेषज्ञ के रूप में वित्त नियंत्रक, उद्योग	सदस्य
5.	सीआईआई उत्तराखण्ड के अध्यक्ष, उद्योग संघों के प्रतिनिधि के रूप में	सदस्य

2– सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् के उपरोक्त सदस्यों की पदावधि 02 वर्ष की होगी और वे उक्त नियमावली के नियम 8 के अनुसार कृत्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

आज्ञा से,

विनय शंकर पाण्डेय,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the **'Constitution of India'**, the Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification No. 100/VII-3-26/182 Industry/2001 Dehradun, dated February 24, 2026 for general information:

February 24, 2026

No. 100/VII-3-26/182 Industry/2001--In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 21 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, read with sub-

rules (1) and (2) of rule 5 of the Uttarakhand State Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules, 2018, and in supersession of earlier Notification No.297/VII/182-Industry/2001, dated 03 June 2011 (as amended from time to time) issued in this regard, the Governor is pleased to allow to constitution of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council as follows:

1. Director General / Commissioner, Industries-	**Chairperson (Ex-officio)**
2. Additional Director, Industries,as an expert from the industry sector-	**Member**
3. Convenor, State Level Bankers Committee, as a banking expert-	**Member**
4. Finance Controller, Industries, as a finance and accounts expert-	**Member**
5. President, CII Uttarakhand, as representative of industry associations-	**Member**

(2) The tenure of the above members of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council shall be two years, and they shall discharge the duties and exercise the powers as per rule 8 of the said rules.

By Order,

VINAY SHANKAR PANDEY,

Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 28—02—2026, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित——]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 सूक्ष्म व लघु/122—25—04—2026—50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)